

अनुभव प्रमाण पत्र, राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत जारी किया गया है।

अनुभव प्रमाण पत्र

मैं, विजय बंधु (ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम) विजय (ग्राम पंचायत का नाम)
 ग्राम प्रधान/सरपंच- नाम पंचायत कदम
 खंड: डोली जन्मदिन
 प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती
अश्विनी (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती
समरकांधर (पिता/माता का नाम), निवासी
 (ग्राम पंचायत का नाम), जिला
 आधार संख्या 60381620864 (आधार संख्या) है, ने हमारी
 ग्राम पंचायत कदम में पेयजल वितरण प्रणाली के संचालन/पलंबिन
 और रखरखाव में न्यूनतम 2 वर्षों तक कार्य किया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी प्रविष्टियाँ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।
 यदि मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त तथ्य किसी भी समय एवं स्तर पर असत्य/गलत पाये
 जाते हैं तो इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए
 मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक:.....

विजय बंधु
 हस्ताक्षर और मुहर
 ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम
 (ग्राम पंचायत)